संख्या : 14/3/2014-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 8 सितंबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 18 सितंबर, 2014 को आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तीसरी बैठक (2014 सीरीज) - एजेंडा अग्रेषित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को वाणिज्य सचिव श्री एस आर राव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 18 सितंबर, 2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ईओयू योजना के लिए आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2014 सीरीज) के लिए एजेंडा मदों की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

(एस एस कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन : 23062496
ई-मेल : kumar.ss@nic.in

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **सभी विकास आयुक्त।**

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव (एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (आरए) के पीपीएस / निदेशक (एमवी) के पीएस

ईओयू योजना के लिए 18 सितंबर, 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित की जाने वाली बीओए की तीसरी बैठक (2014 सीरीज) के लिए एजेंडा

3.1(14) 24 जुलाई, 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की दूसरी बैठक (2014 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

3.2(14) मैसर्स ग्रोज इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू – विनिर्मित वस्तुओं तथा उनके निर्यात से संबंधित माल (आयातित या स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्त) के समेकन के लिए प्रस्ताव

विनिर्मित वस्तुओं तथा उनके निर्यात से संबंधित माल (आयातित या स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्त) के समेकन के संबंध में एनएसईजेड का प्रस्ताव। यूनिट को लुब्रिकेशन टूल्स, अस्सेसरीज, पंप, होज रील आदि के विनिर्माण और निर्यात के लिए 2002 में एलओपी जारी किया गया था। यूनिट का एनएफई पॉजिटिव है तथा उसका मूल्य 67403.90 लाख रुपए है।

यूनिट ने कुछ सामग्रियों (आयातित या स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्त) के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग की है, जो उसकी विनिर्माण वस्तुओं के साथ मशीन के अंग हैं। विनिर्मित तैयार माल के साथ अस्सेसरीज के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं की सूची सनदी इंजीनियर द्वारा सत्यापित है।

विदेश व्यापार नीति का संगत प्रावधान : विदेश व्यापार नीति का पैरा 6.2(1) नीचे पुन: प्रस्तुत है :

"अनुमोदन बोर्ड मामला दर मामला आधार पर विनिर्मित वस्तु के साथ विनिर्मित से संबंधित माल के समेकन और उसके निर्यात के लिए रत्न एवं आभूषण से भिन्न क्षेत्र में ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिट के अनुरोध को अनुमत कर सकता है। पिछले वित्त वर्ष में यूनिट द्वारा आयात किए गए ऐसे विनिर्मित माल के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत तक ड्यूटी के भुगतान के बगैर ईओयू द्वारा डीटीए से ऐसे माल के आयात / प्रापण को अनुमत किया जा सकता है। निर्यात के दस्तावेजों में ईओयू द्वारा अधिप्राप्त / आयातित माल तथा विनिर्मित वस्तु के ब्यौरे अलग-अलग दर्ज किए जाएंगे। ऐसे मामले में, अधिप्राप्त / आयातित माल के मूल्य को एनएफई की गणना, डीटीए बिक्री की पात्रता में शामिल नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अधिप्राप्त / आयातित माल से उत्पन्न लाभ आय कर लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अधिप्राप्त / आयातित माल को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं होगी। अनुमोदन बोर्ड कोई अन्य शर्त भी निर्दिष्ट कर सकता है।"

विकास आयुक्त की सिफारिश : निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अधीन विनिर्मित वस्तुओं के साथ खरीदी जाने वाली सामग्रियों के समेकन के लिए यूनिट के अनुरोध पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.2(1) के तहत विचार किया जा सकता है।

3.3(14) मैसर्स नूरे केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एमईपीजेड के तहत ईओयू – देशज सामग्री अर्थात "वैज्ञानिक डोर'' जो प्रेस स्टील डोर के नाम से विख्यात है, के ड्यूटी फ्री प्रापण के लिए प्रस्ताव

यूनिट को 2013 में ट्रामाडोल, सेट्रिजीन, क्लेरीथ्रोमाइसिन और एजीथ्रोमाइसिन के विनिर्माण और निर्यात के लिए एलओपी जारी किया गया था। यूनिट ने अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ नहीं किया है। इस बीच यूनिट से प्रेस्ड स्टील सेक्शन से निर्मित वैज्ञानिक डोर (10) के ड्यूटी फ्री प्रापण के लिए अनुरोध किया। उत्पादन, सैंपलिंग, पैकिंग और भंडारण आदि के दौरान किसी रासायनिक या सूक्ष्मजीवीय प्रकृति या

इतर पदार्थों के अवांछित संदूषण से उत्पादों को बचाने के लिए वैज्ञानिक डोर की आवश्यकता होती है। प्रक्षेपित एनएफई 2450 लाख रुपए है।

विकास आयुक्त ने कहा कि उपर्युक्त पूंजी माल केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना 22/2003 दिनांक 31 मार्च, 2003 के अनुबंध-5 में शामिल नहीं है।

विदेश व्यापार नीति / एचबीपी का संगत प्रावधान : एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन बोर्ड को पैरा 6.5.1 के खंड (क) से (ड.) में उल्लिखित माल के आयात / डीटीए प्रापण की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश : हालांकि उपर्युक्त वस्तुएं विदेश व्यापार नीति तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना में शामिल नहीं हैं, परंतु फार्मास्यूटिकल यूनिट होने के कारण यूनिट की आवश्यकता उद्योग विशिष्ट है और अवसंरचना सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता है। चूंकि यूनिट को अनिवार्य रूप से क्लीन रूम फैसिलिटी के लिए वैज्ञानिक डोर की आवश्यकता है जो फार्मा उद्योग में आवश्यक है। इसलिए, अनुमोदन बोर्ड एक बारगी उपाय के रूप में वस्तुओं को अनुमोदित करने पर विचार कर सकता है।

दृष्टांत : ईओयू के लिए अपनी चौथी बैठक (2013 सीरीज) में अनुमोदन बोर्ड ने डीजीईपी तथा विकास आयुक्त, सीएसईजेड की सिफारिश के आधार पर एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के अनुसार वैज्ञानिक डोर (स्टील डोर) के ड्यूटी फ्री प्रापण के लिए मैसर्स रायचेम मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना 22/2003 (जैसा कि विकास आयुक्त द्वारा उल्लेख किया गया है) के अनुबंध-5 में ऐसी शामिल मदें शामिल हैं जिनका ग्रेनाइट की वस्तुओं के विनिर्माण एवं प्रोसेसिंग या उत्पादन तथा उनके निर्यात में शामिल ईओयू के लिए ड्यूटी फ्री आयात किया जा सकता है। विचाराधीन यूनिट फार्मास्यूटिकल यूनिट है, इसलिए यूनिट के अनुरोध पर उक्त अधिसूचना के अनुबंध-1 के क्रमांक 28 के अनुसार विचार किया जा सकता है।

3.4(14) मैसर्स एडविनस थेराप्यूटिक्स लिमिटेड, एसईईपीजेड के तहत ईओयू – प्रयोगशाला पशुओं – चूहा और खरगोश के ड्यूटी फ्री आयात के लिए प्रस्ताव

यूनिट को मोलक्यूलर तथा सेल बायोलॉजी, प्रोटीन बायोलॉजी, मेडीसिनल कैमेस्ट्री, एडीएमई और नैदानिक पूर्व अध्ययन तथा विश्लेषण रसायन विज्ञान सहित औषधी खोज के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए ईओयू योजना के तहत सेवा यूनिट स्थापित करने के लिए 2005 में एलओपी मंजूर किया गया था।

आईटीसी (एचएस) आयात नीति में जंगली पशुओं (उनके अंगों एवं उत्पादों सहित) का आयात निषिद्ध है। प्रस्तावित मदें प्रतिबंधित श्रेणी में आती हैं तथा एचबीपी के पैरा 6.5.1 में शामिल नहीं हैं। यूनिट ने अनुसंधान एवं विकास की अपनी गतिविधियों के अंग के रूप में लागू कस्टम ड्यूटी के भुगतान पर इटली, यूएसए, यूके से 4000 चूहों और खरगोशों के आयात के लिए 10 जून, 2005 को डीजीएफटी से लाइसेंस प्राप्त किया। अब यूनिट सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 52/2003 दिनांक 31 मार्च, 2003 के माध्यम से ड्यूटी के भुगतान के बगैर प्रयोगशाला पशुओं का आयात करना चाहती है। इस अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचना के अनुबंध-1 में शामिल सभी मदों का आयात ड्यूटी छूट के तहत किया जा सकता है। चूंकि प्रयोगशाला पशु इस सूची में शामिल नहीं हैं, इसलिए ये क्रम संख्या 17 में वर्गीकरण के योग्य हैं और तदनुसार, इन मदों का आयात करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी अपेक्षित है।

विदेश व्यापार नीति / एचबीपी का संगत प्रावधान : एचबीपी के पैरा 6.5.1(च) के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन बोर्ड को पैरा 6.5.1 के खंड (क) से (ड.) में उल्लिखित माल के आयात / डीटीए प्रापण की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

विकास आयुक्त की सिफारिश : डीजीएफटी के लाइसेंस तथा अन्य लागू कानूनों / विनियमों जैसे कि सीआईटीईएस तथा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन यूनिट के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

3.5(14) मैसर्स टाटा लॉकहेड मार्टिन एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड, वीएसईजेड के तहत ईओयू – मौजूदा एलओपी में अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करने के लिए प्रस्ताव

"एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल असेंबली जिसमें एम्पेनेज तथा सेंटर विंग बॉक्स शामिल हैं'' के विनिर्माण और निर्यात के लिए 2011 में एलओपी जारी किया गया।

यूनिट का अनुरोध : उनके एलओपी दिनांक 25 जुलाई, 2011 में अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करना अर्थात उपकरणों की टूल डिजाइनिंग सर्विस / रिपेयर और मरम्मत तथा एसईजेड या विदेश में किसी अन्य स्थान के लिए टूलिंग सर्विस / उत्पाद अनुरक्षण सेवा / एयरक्राफ्ट की उपभोज्य वस्तुओं की विस्तृत इंजीनियरिंग सेवा / संभाव्यता अध्ययन सेवा / गुणवत्ता जांच सेवा / उपकरण जांच तथा कैलिब्रेशन सेवा। यूनिट ने उल्लेख किया है कि पांच वर्षों में विदेशी मुद्रा के अंत:प्रवाह से अतिरिक्त राजस्व 125 मिलियन अमरीकी डालर होगा।

विदेश व्यापार नीति / एचबीपी का संगत प्रावधान :

(i) **ऊपर वर्णित सेवाओं में से विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.16 में रिपयेर, टेस्टिंग और कैलिब्रेशन सेवा का वर्णन :**

"विदेशी मुद्रा में निर्यात के लिए रि-कंडीशनिंग, रिपेयर, रिमेकिंग, टेस्टिंग, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा रि-इंजीनियरिंग की गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से ईओयू / ईएचटीपी / बीटीपी यूनिटें स्थपित की जा सकती हैं। तथापि, ऐसी गतिविधियों पर विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 तथा एचबीपी खंड-1 के पैरा 6.28 लागू नहीं होंगे।

(ii) **अन्य सेवाओं के संबंध में एचबीपी के पैरा 6.32(5) के अनुसार विकास आयुक्त के पास एलओपी में वर्णित समान वस्तु एवं गतिविधियों के लिए ब्राडबैंडिंग की अनुमति प्रदान करने या विनिर्माण की मौजूदा पंक्ति में बैकवर्ड या फारवर्ड लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति है। प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रावधान के तहत शामिल नहीं हैं क्योंकि ये सेवा गतिविधियां हैं। तथापि, एचबीपी के पैरा 6.2.2 के अनुसार :**

"सेवा क्षेत्र में यूनिटों को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव से भिन्न ईओयू योजन के तहत यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। अन्य मामलों में, अनुमोदन बोर्ड स्वीकृति के बाद विकास आयुक्त द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी।"

चूंकि उपर्युक्त नियम ईओयू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के लिए लागू हैं, उक्त यूनिट को एलओपी पहले ही जारी किया जा चुका है, इस बात पर विचार किया जाना है कि क्या प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

विकास आयुक्त की सिफारिश : विकास आयुक्त ने पैरा 6.2.2 और 6.31.1(क) के अनुसार प्रस्ताव की सिफारिश की है। ईओयू यूनिट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुमोदन के लिए शक्ति अनुमोदन बोर्ड के पास है (अनुसंधान एवं विकास, साफ्टवेयर तथा आईटी समर्थित सेवाओं या किसी अन्य सेवा को छोड़कर जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रत्योजित की जा सकती है)। चूंकि उपर्युक्त सेवाएं, जिनका यूनिट द्वारा अनुरोध किया गया है, उनकी विनिर्माण गतिविधि के संबंध में हैं, विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा उनके एलओपी में इन सेवाओं को शामिल करने के लिए उनको अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की है।

3.6(14) मैसर्स जैन ग्रैनी मारमो प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू – डीटीए में रिजेक्ट / अपशिष्ट / स्क्रैप के निस्तारण के लिए अनुमति

यूनिट उदयपुर में मार्बल स्लैब एवं टाइल के विनिर्माण के लिए 100 प्रतिशत ईओयू है। यूनिट ने निर्यात के अयोग्य रिजेक्ट तथा अपशिष्ट जो प्रचालन के दौरान उत्पन्न होता है, के निस्तारण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

अनुमोदन बोर्ड ने 23 नवंबर, 2012 को आयोजित अपनी पांचवीं बैठक (2012 सीरीज) में प्रस्ताव को निम्नानुसार मंजूरी प्रदान की :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि ईओयू यूनिट ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8 के तहत डीटीए में मार्बल की ऐसी बिक्री पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए डीटीए में मार्बल के स्क्रैप / अपशिष्ट की बिक्री / निस्तारण के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि मार्बल के लिए डीटीए में बिक्री के प्रावधानों के अभाव में निर्यात के लिए अयोग्य ऐसे मार्बल रिजेक्ट तथा इसके अपशिष्ट और स्क्रैप ईओयू के परिसर में संचित हो रहे हैं। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि मद के लिए निर्धारित एसआईओएन के अधीन विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(घ) और (ड.) के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मार्बल अपशिष्ट / स्क्रैप का निस्तारण किया जा सकता है। एसआईओएन के अभाव में ऐसा निस्तारण विकास आयुक्त, एसईजेड तथा सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित आयुक्त की संयुक्त टीम द्वारा सत्यापन के अधीन इनपुट मात्रा के दो प्रतिशत तक सीमित होगा।"

विदेश व्यापार नीति / एचबीपी के प्रावधान : पैरा 6.8 (क) और (ज) के अनुसार डीटीए में मार्बल की बिक्री निषिद्ध है। विदेश व्यापार नीति पैरा 6.8 (क) के अनुसार उल्लेखनीय है कि :

"मोटर कार, अल्कोहलिक लीकर, पुस्तकों, चाय (इंस्टैंट टी को छोड़कर), काली मिर्च तथा काली मिर्च के उत्पादों, मार्बल के संबंध में रियायती दर पर डीटीए बिक्री की कोई अनुमति नहीं होगी तथा ऐसी अन्य मदें समय – समय पर अधिसूचित की जा सकती हैं।"

6.8(ज) के अनुसार, उल्लेखनीय है कि :

"ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिटें काली मिर्च एवं काली मिर्च के उत्पादों तथा मार्बल को छोड़कर निर्मित उत्पादों की बिक्री कर सकती हैं, जिनका पूर्ण ड्यूटी के भुगतान के विरूद्ध विकास आयुक्त को सूचित करते हुए डीटीए विदेश व्यापार नीति के तहत स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है, बशर्ते उन्होंने सकारात्मक एनएफई प्राप्त की है।"

तथापि, विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(घ) के अनुसार उल्लेखनीय है कि :

"जब तक एलओपी में विशेष रूप से निषिद्ध न हो, सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पहले सूचित करते हुए उप पैरा 6.8(क) के तहत बिक्री पर यथालागू ड्यूटी के भुगतान पर डीटीए में 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के अंदर रिजेक्ट की बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री की गणना डीटीए बिक्री पात्रता के विरूद्ध की जाएगी। निर्यात के एफओबी मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट की बिक्री एनएफई की प्राप्ति की शर्त के अधीन नहीं होगी।"

पैरा 6.8(ड.) के अनुसार उल्लेखनीय है कि :

"निर्यात के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के अंदर यथालागू रियायती शुल्क के भुगतान पर ड्यूटी छूट योजना के तहत अधिसूचित एसआईओएन के अनुसार उत्पद्दन प्रक्रिया से या इस सिलसिले में उत्पन्न स्क्रैप / अपशिष्ट / अवशेष की डीटीए में बिक्री की जा सकती है। स्क्रैप / अपशिष्ट / अवशेष की ऐसी बिक्री सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। मानदंडों द्वारा शामिल न की गई मदों के संबंध में, विकास आयुक्त 6 माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदंड निर्धारित कर सकते हैं और इस अवधि के अंदर मानदंड समिति द्वारा मानदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। तदर्थ मानदंड ऐसे समय तक जारी रहेंगे जब तक कि मानदंड समिति द्वारा मानदंड निर्धारित नहीं किया जाते हैं। डीटीए बिक्री के लिए जो यूनिटें पात्र नहीं हैं उनके द्वारा अपशिष्ट / स्क्रैप / अवशेष की बिक्री या डीटीए बिक्री की पात्रता से अधिक बिक्री पूर्ण ड्यूटी के भुगतान पर होगी। अपशिष्ट / स्क्रैप / अवशेष का निर्यात भी किया जा सकता है।"

यह मामला डीजीएफटी के पास भेजा गया। यूनिट को दिए गए अपने जवाब में डीजीएफटी ने मार्बल रिजेक्ट / अपशिष्ट की इनपुट मात्रा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यूनिट से अपने मामले को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का अनुरोध किया, क्योंकि यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित निस्तारण के लिए कसौटी में परिवर्तन के लिए है।

विकास आयुक्त की सिफारिश : निर्यात के अयोग्य रिजेक्ट / अपशिष्ट के संचय के कारण यूनिट के समक्ष मौजूद कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.8(घ) और 6.8(ड.) के तहत लागू ड्यूटी के भुगतान पर डीटीए में रिजेक्ट / अपशिष्ट / स्क्रैप के निस्तारण के स्तर में वृद्धि करने की अनुमति प्रदान करने के लिए मामले की सिफारिश की है।

3.7(14) मैसर्स टौरस एगिल टेक्नोलॉजी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, एनएसईजेड के तहत ईओयू – निगेटिव एनएफई के बावजूद एलओपी की अवधि बढ़ाना

यूनिट, जो मोहाली, पंजाब में 100 प्रतिशत ईओयू है, को टरबाइन कंपोनेंट, मशीन कंपोनेंट, औद्योगिक उपकरण, आटोमोटिव कंपोनेंट के विनिर्माण और निर्यात के लिए 2007 में एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 2008 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया तथा 26 दिसंबर, 2013 को पांच वर्ष का ब्लाक पूरा किया। पांच वर्ष की ब्लाक अवधि के दौरान यूनिट का एनएफई निगेटिव है। यूनिट ने रियायती दर पर ड्यूटी के भुगतान पर 159.82 लाख रुपए की अनधिकृत डीटीए बिक्री भी की थी। चूंकि यूनिट का एनएफई निगेटिव है, यह रियायती दर पर डीटीए बिक्री करने के लिए न तो पात्र है और न ही अधिकृत।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा 3 अप्रैल, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में एनएफई की गणना के लिए 5 साल की ब्लाक अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड का निर्णय नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

"विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को एनएफई पॉजिटिव होने के बारे में यूनिट की संभावना का आकलन करने के लिए यूनिट की व्यवसाय योजना की जांच करने का निदेश देने का निर्णय लिया।"

अनुमोदन बोर्ड के निदेश के अनुसार, विकास आयुक्त ने यूनिट की व्यवसाय योजना की जांच की। विकास आयुक्त ने कहा कि व्यवसाय योजना में जो दावे किए गए हैं वे अतिरंजित प्रतीत होते हैं :

(i) एयरो स्पेस एक विशिष्ट उद्योग है जिसमें शामिल कंपनियों की संख्या बहुत कम है तथा यह एक कुख्यात व्यवसाय चक्र है।

(ii) एयरो स्पेस के कंपोनेंट के विनिर्माण में चुनौतियां शामिल हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत कठोर गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

(iii) 27 अक्टूबर, 2008 से 26 अक्टूबर, 2013 तक 5 साल की ब्लाक अवधि के दौरान यूनिट का निष्पादन उत्साहवर्धक नहीं रहा है।

(iv) चूंकि यह यूनिट इस व्यवसाय के लिए नई है, जिंदा रहने की इसकी क्षमता की अभी तक परख नहीं हुई है।

(v) अपने पास उपलब्ध आर्डर के आधार पर वर्ष 2013-14 के लिए यूनिट ने 110 करोड़ रुपए के निर्यात का अनुमान व्यक्त किया है। तथापि, 2013-14 के दौरान, निर्यात का कुल मूल्य केवल 88.60 लाख रुपए था।

विकास आयुक्त ने कहा है कि उन्होंने 2400 करोड़ रुपए मूल्य के निर्यात आर्डर प्राप्त होने के संबंध में यूनिट के दावे का स्थल पर सत्यापन एवं जांच करने के लिए यूनिट का दौरा करने हेतु उप विकास आयुक्त को भेजा था।

प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार, यूनिट ने 410 मिलियन अमरीकी डालर (250 मिलियन अमरीकी डालर के लिए दीर्घावधिक करार पर मशीन के बड़े पुर्जे और 160 मिलियन अमरीकी डालर के लिए दीर्घावधिक करार पर मशीन के छोटे पुर्जे) मूल्य के आर्डर की सप्लाई की है। विकास आयुक्त ने बताया है कि हालांकि यूनिट 80 – 100 पुर्जों के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने में सफल हुई है, यूनिट ने अभी तक थोक में उत्पादन शुरू नहीं किया है। विकास आयुक्त ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जब थोक में उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो यूनिट निर्यात बाध्यता को पूरा करने में सफल हो जाएगी।

3.8(14) 5 प्लास्टिक यूनिटों अर्थात (i) मैसर्स प्राइम एक्सपोर्टर, (ii) मैसर्स सैन पोलीप्लास्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड (iii) मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, (iv) मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (v) मैसर्स आशु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, के एलओपी का विस्तार

अनुमोदन बोर्ड ने 24 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में 5 यूनिटों के एलओपी की अवधि में तीन माह की वृद्धि की थी। अब विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के निदेश के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिससे पता चला है कि 3 यूनिटों ने अपनी अधिष्ठापित क्षमता में अनधिकृत रूप से वृद्धि की है और 4 यूनिटें विभिन्न अवसरों पर निर्यात की अपनी भौतिक बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रही हैं।

मैसर्स आशु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड को 6000 मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ एलओपी जारी किया गया था, जबकि प्लांट की मौजूदा क्षमता 9676 मीट्रिक टन है। मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स पीएमएस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की निर्धारित वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमश: 2132 मीट्रिक टन और 1584 मीट्रिक टन थी, जबकि इन यूनिटों के संयंत्र की मौजूदा क्षमता क्रमश: 5292 मीट्रिक टन और 7950 मीट्रिक टन है।

मैसर्स आशु प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड 2009-2013 से भौतिक निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर रहा है, जबकि मैसर्स ऐश्वर्या प्लास्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड सभी 5 वर्षों के दौरान भौतिक निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगातार असफल रहा है, मैसर्स सैन पोलीप्लास्ट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड 2010 से 2013 तक भौतिक निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है और मैसर्स प्राइम एक्सपोर्टर्स वर्ष 2013-14 के लिए भौतिक निर्यात के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है।

इन यूनिटों को अगस्त, 2014 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा पत्र दिनांक 21 अगस्त, 2014 के माध्यम से सभी 5 यूनिटों के एलओपी की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की गई है। निर्णय के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

भाग-2

1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदनों की अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि

(क)	जून, 2014 से जुलाई, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एसईईपीजेड
(ख)	जून, 2014 से जुलाई, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	आईएसईजेड
(ग)	अप्रैल, 2014 से जून, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(घ)	जून, 2014 से अगस्त, 2014 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

पुराने मामले

(क)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन जनवरी, 2001 में जारी की गई एलओपी	वीएसईजेड
(ख)	प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन मार्च, 2000 में जारी की गई एलओपी	एमईपीजेड